The details of expenditure are given below:

	Rs. (in lakhs)
(i) Establishment . . .	35·57
(ii) Protection of Desert habital	5·85
(iii) Regenation of Desert Plants	146·00
(iv) Water conservation .	23·38
(v) Buildings . . .	20·00
(vi) Live stock . . .	3·40
(vii) Vehicles . . .	11·13
(viii) Wood fossil Park . .	1·83
Total	247·16

(e) and (f) State Governments are competent to set up National Parks under the Wild Life (Protection) Act, 1972. The Centre Government has not conducted any survey for this purpose.

Alternate Accommodation for Dislodged Person

2775. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government would put the cases of alternate accommodation for poor tenants of old tenements being demolished under town planning schemes in metropolitan cities like Bombay on par with those from the slums who are provided alternate accommodation at cheap rent through central assistance; and

(b) whether Centre propose to issue guidelines to provide alternate accommodation to the displaced tenants not far away from their demolished tenements so that they are not uprooted from their surroundings and places of vocation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Urban development is a State subject and it is upto the State Governments to lay down guidelines for the preparation and enforcement of Town Planning Schemes in metropolitan cities based on the provisions contained in the relevant statutes. The Slum Clearance/Improvement Scheme, which envisages clearance of slums and re-location of the dis-housed population either at the same sites or at alternate sites, is being operated as a State sector scheme with effect from 1-4-1969. No direct financial assistance is therefore, provided for implementing this Scheme.

(b) No such proposal is under consideration.

P&T Office in Mandideep, Bhopal

2776. SHRI RAM AWADH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mandideep in Bhopal do not have any Post and Telegraph Office; and

(b) if so, whether Government propose to open P&T offices there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) and (b). There is already a sub post office at Mandideep with telegraph facility on phonocom. Orders for conversion of the phonocom circuit into morse working have been issued. The facility will be provided on receipt of stores.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलम्ब शुल्क और ढुलाई पर किया गया खर्च

2777. श्री राम अवध : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को पर्याप्त भंडारण क्षमता

न होने के कारण हर वर्ष विलम्ब शुल्क और ढुलाई प्रभार के रूप में भारी राशि खर्च करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार, इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्): (क) और (ख). जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास 31-12-1980 को लगभग 213 लाख मीटरी टन का भण्डारण स्थान (निजी और किराये का) उपलब्ध था जिस में से केवल 49.8 प्रतिशत का उपयोग हो रहा था। तथापि, यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को रेल तथा सड़क मार्ग से खाद्यान्नों को भेजने के लिए और यथावश्यक बफर स्टाक का भण्डारण करने के लिए भी पर्याप्त राशि खर्च करता रहा है। कभी कभी ठेकेदारों की चूक, विभागीय श्रमिकों द्वारा धीरे धीरे काम करने, हड़ताल तथा बंद, वैगनों के जमा हो जाने, वैगनों को दूसरे स्थानों पर भेजने, भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के काम के घंटे में भिन्नता होने आदि जैसे कई कारणों से रेलवे वैगनों पर डेमेरज देना पड़ता है।

पिछले तीन वर्षों में डेमेरज और ढुलाई प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत रेल भाड़ा और लारी-भाड़ा के रूप में खर्च हुई कुल राशि इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	1977–78	1978–79	1979–80
डेमेरज . . .	181.34	230.32	304.38
रेलवे भाड़ा . . .	10,969.33	9,982.58	12,816.40
लारी भाड़ा . . .	1,450.44	1,796.91	2,086.02

(ग) भारतीय खाद्य निगम के डेमेरज की राशि को बहुत ही कम करने की दिशाओं में आवश्यक पग उठाता रहा है जो कि इस प्रकार है :—

(1) जहां कहीं हैंडलिंग तथा ट्रांसपोर्ट ठेकेदार डेमेरज/स्थान शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होते हैं वहां उन से यह राशि वसूल की जाती है।

(2) विभागीय श्रमिकों के मामले में जहां कहीं आवश्यक होता है, स्टाफ की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

(3) रेलवे से वैगनों में माल लादने और उतारने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या करने के लिए कहा जाता है ।

(4) जहां कहीं यह देखा जाता है कि वैगन अथवा माल का रोकना भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण के बाहर है अथवा रेलवे द्वारा माल लादने तथा उतारने के लिए प्रदान की गई सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण वैगनों को रोकना पड़ा है, वहां रेलवे से वसूल की गई राशि को लौटाने के लिए भी पत्र व्यवहार किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है । छठी योजनावधि के दौरान, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता बनवाए जाने की व्यवस्था की गई है ।

गुजरात के सूरत टेलीफोन मंडल के टेलीफोन एक्सचेंजों में "अपने टेलीफोन स्वयं खरीदो" टेलीफोन के लिए आवेदन पत्र

2778. श्री छोटू भाई वासवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत टेलीफोन मंडल में बारडोली, मदनी, पालोड, बेयरा तथा सोनगढ़ टेलीफोन केन्द्रों से "अपने टेलीफोन स्वयं खरीदें" तथा अन्य वर्गों के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1977 से 1980 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त मांग के विरुद्ध अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) शेष कनैक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे और टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख). विवरण संलग्न है । पालोड नामक किसी स्थान में कोई एक एक्सचेंज नहीं है । अनुमान है कि प्रश्न भलोद से संबंधित है जिस के बारे में सूचना दी जा रही है ।

(ग) मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार किया जा रहा है । आशा है कि लगभग 1981 के मध्य तक इन एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची के अधिकांश आवेदनों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे ।